पत्र संख्या-आई0टी0-नेटबैंकिंग/(2012-2013)/ 08 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनाँक 07 मार्च- 2013

-:कार्यालय ज्ञाप:-

प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत अब तक रिसीट, रजिस्ट्रेशन और रिर्टन (फार्म-24) के माड्यूल एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये जा चुके है तथा इस पर कार्य किया जा रहा है। वाणिज्य कर भुगतान हेतु अब तक की प्रक्रिया यह है कि रिटर्न के अनुसार व्यापारी पर जो वाणिज्य कर की देयता बनती है, उतनी धनराशि का वह निर्धारित फार्म पर चालान भर कर अधिकृत राष्ट्रीकृत बैंक में चार प्रतियों में चालान तथा देय धनराशि नकद / बैंक ड्राफ्ट / चेक के माध्यम से जमा करता है। चालान की दो प्रति उसे बैंक मुहर लगाकर वापस करता है, जिसमें एक प्रति व्यापारी अपने पास रखता है और दूसरी प्रति रिटर्न के साथ संलग्न कर विभाग में जमा करता है। बैंक अपने पास जो दो प्रतियाँ रखता है उसमें से एक प्रति लिंक ब्रॉच के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग को और दूसरी प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सम्बन्धित जिले के कोषागार को प्राप्त होती है और इस प्रकार कोषागार में प्राप्त चालान प्रति के अनुसार जमा धनराशि शासकीय एकाउंण्ट में अंकित होती है। वाणिज्य कर की धनराशि अधिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारी इसे नकद न जमा करके चेक के माध्यम से जमा करना चाहता है। व्यापारी के द्वारा चेक से धनराशि चालान द्वारा वाणिज्य कर के हेड में जमा करने की स्थिति में इस चेक का क्लियरेन्स होकर भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कोषागार में प्राप्त होने तथा उसे वाणिज्य कर के हेड में अंकित करने में कई दिन लग जाते हैं। इस वर्तमान व्यवस्था में एक तरफ व्यापारी को कर जमा करने हेतु चालान के साथ प्रत्येक बार बैंक जाना पड़ता है और दूसरी तरफ उसके द्वारा कर की धनराशि जमा करने के बाद भी चेक क्लियरेन्स के बाद सत्यापित होकर चालान कोषागार में प्राप्त होने में समय लगता है, जिसके कारण प्रश्नगत धनराशि शासकीय एकाउण्ट में विलम्ब से प्राप्त होती है। अत: उपरोक्त पृष्ठभूमि में वाणिज्य कर भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के साथ-साथ इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से वाणिज्य कर जमा करने की सुविधा व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एन0आई0सी0 द्वारा माड्यूल विकसित किये गये हैं जो वाणिज्य कर विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ऐसी कम्पनियाँ या व्यापारी जो वाणिज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड हैं अर्थात जिनके पास TIN नम्बर हैं, वाणिज्य कर का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकती हैं। ऐसे व्यापारी देय वाणिज्य कर का भुगतान नेट पेमेन्ट के माध्यम से अपने स्वयं के कम्प्यूटर जो इन्टरनेट से जुड़ा हो, द्वारा या किसी भी साइबर कैफे से निम्नानुसार चरणबद्ध रुप से लाग इन करके कर सकते हैं :-

1- नेट पेमेन्ट की सुविधा लेने के लिए व्यापारी को विभाग की वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर जाकर नेट बैंकिंग बटन पर क्लिक करना होगा उसके बाद के वेब पेज पर व्यापारी को लाग इन करना होगा। व्यापारी का User-id उसका TIN होगा तथा व्यापारी को अपना पासवर्ड स्वयं बनाना होगा। भविष्य में नये पासवर्ड से ही व्यापारी को Sign in करना होगा। व्यापारी द्वारा नेट पेमेन्ट की कार्यवाही हेतु User-id में TIN नम्बर भरा जायेगा तथा नये पासवर्ड को भरकर लाग इन किया जायेगा।

2- Sign in करने के पश्चात् व्यापारी को कर निर्धारण वर्ष, टैक्स पीरियड, लोकेशन एवं आफिस, वाणिज्य कर जमा करने का मद निर्धारित स्थान पर भरना /सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात् मदों की राशि को जोड़ हेतु Total बटन पर क्लिक करना होगा। इस पेज को सेव करने के पश्चात् व्यापारी द्वारा इस सम्व्यवहार को कन्फर्म किया जायेगा।

3- सम्व्यवहार को कन्फर्म करने के पश्चात् व्यापारी को सम्बन्धित बैंक को ड्राप डाउन से सेलक्ट करना होगा। जहाँ पर खाता धारक को इन्टरनेट बैंकिंग का यूजर नेम व पासवर्ड डालना होगा उसके पश्चात् पिछली स्क्रीन में भरे गये चालान का ब्यौरा उपलब्ध होगा।

4- खाता धारक को डेबिट ट्रांजेक्शन के सफल होने के बाद बैंक द्वारा एक रेफरेन्स आई0डी0नम्बर दिया जायेगा यह रिफरेन्स आई0डी0पुन: विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा जहाँ से खाता धारक साइबर रसीद प्राप्त कर सकेगा।

-क्रमश: पृष्ठ 2 पर-

इस रिफरेन्स आई0डी0 का उपयोग भविष्य में किसी शंका / समस्या समाधान हेतु भी किया जा सकेगा। व्यापारी अपने द्वारा जमा किये गये वाणिज्य कर का दो प्रतियों में कम्प्यूटर जनरेटेड चालान का प्रिन्ट आउट लेगा। उसके द्वारा इस प्रकार लिये गये प्रिन्ट आउट की एक प्रति अपने रिकार्ड हेतु रखी जायेगी और दूसरी प्रति रिटर्न के साथ वाणिज्य कर विभाग में रिटर्न दाखिल करते समय संलग्न कर दी जायेगी।

5- व्यापारी द्वारा नेट पेमेन्ट करते समय यदि भुगतान के उपरान्त नेट में बाधा के कारण बैंक द्वारा दिया गया रेफरेन्स नम्बर आई0डी0 नम्बर साइबर चालान पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा साइबर चालान का प्रिन्ट आउट नहीं ले पाता है ऐसी स्थिति में व्यापारी, वाणिज्य कर के हेल्पलाईन के **दूरभाष संख्या 0512-2583914 एवं ई-मेल cthelplinelu_up@ nic.in.** पर तुरन्त अपनी शिकायत दर्ज करायेंगे। शिकायत में रेफरेन्स आई0डी0 का स्पष्ट रुप से उललेख किया जाना आवश्यक है।

नेट पेमेन्ट की इस व्यवस्था में वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त एन0आई0सी0, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों व कोषागार की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें प्रत्येक को अपने पक्ष की भूमिका निर्वहन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी :-

(अ) <u>वाणिज्य कर विभाग को प्राप्त होने वाली रिपोर्टस तथा उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य</u>

1- भारतीय रिजर्व बैंक (PAD Kanpur) द्वारा प्रतिदिन इन्टर नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में व्यापारी के TIN नम्बर, फर्म का नाम व पता, बैंक का नाम, कर की मदवार जमा की गयी तथा कुल जमा की गयी धनराशि आदि के विवरण के स्क्राल सहित साफ्टकापी सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

2- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य कर विभाग को पोर्टल का user ID व password प्राप्त कराया जायेगा। इस user ID तथा password से एन0आई0सी0 द्वारा अपलोडेड XML file को डाउनलोड किया जायेगा। NIC के साफ्टवेयर में उक्त XML file में परिवर्तित कर विभागीय अधिकारियों के लिये उपयोगी बनाया जायेगा। इससे NIC द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से जनरेटेड रिपोर्ट तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट का संकलन आसानी से हो सकेगा।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्भाग-ए, कानुपर के पर्यवेक्षण में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, कानपुर द्वारा कोषागार कानपुर से नियमानुसार मासिक मिलान कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन्टर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करायी गयी तिथिवार धनराशि वाणिज्य कर के हेड में प्राप्त दिखायी जा रही है। किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर आवश्यक जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का दायित्व डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, कानपुर का होगा। किसी भी प्रकार की भिन्नता मिलने पर डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय अथवा संयुक्त निदेशक (संख्या) को तद्नुसार सूचित करेंगें।

4- डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, कानपुर रुप पत्र-3 में प्रदेश के विभिन्न जोनों के व्यापारियों द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा धनराशि तथा कानपुर जनपद के व्यापारियों द्वारा बैंकों के माध्यम से जमा धनराशि का विवरण अलग-अलग तैयार कर कोषागार अधिकारी से सत्यापित करायेगें तथा स्क्राल की प्रति अपने कार्यालय में अभिलेखित कराकर सुरक्षित रखेगें, ताकि प्रदेश के किसी भी कार्यालय में जमा सत्यापन की आवश्यकता आने पर उपयोग किया जा सकें।

5- जोनल एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, अपने जोन / सम्भाग के व्यापरियों द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा की गयी धनराशि को सम्मिलित करेंगे, किन्तु नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा धनराशि अलग कालम में भी दर्शित की जायेगी ताकि जोन / सम्भाग की समीक्षा के समय यह स्पष्ट हो सके कि जोन / सम्भाग के कुल प्राप्त धनराशि में कितनी धनराशि नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा की गयी है।

6- सम्बन्धित जिले के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा **MIS report** के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर अपने जनपद के डी0सी0आर0 में पुष्टि के उपरान्त व्यापारियों द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा धनराशि का इन्द्राज करेगें।

-क्रमशः पृष्ठ 3 पर-

(ब) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले दायित्व

1- प्रतिदिन इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से व्यापारी के एकाउण्ट से राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से जमा धनराशि का समेकित सत्यापित विवरण, जिसमें सभी चालानों का पूर्ण विवरण अंकित होगा, स्क्राल सहित साफ्ट कापी व हार्ड कापी पर भुगतान के अगले दिन तक कोषागार कानपुर एवं वाणिज्य कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने का दायित्व **भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर** का होगा।

2- कोषागार कानपुर में नेट पेमेन्ट के माध्यम से जमा धनराशि का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापित विवरण के आधार पर तैयार किया जायेगा। अत: विवरण की सत्यता की जिम्मेदारी पूर्ण रुप से भारतीय रिजर्व बैंक की होगी।

3- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोषागार निदेशालय व एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर कोषागार से सूचना जनरेट करने हेतु अपने कम्प्यूटर साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा ताकि सूचना कोषागार के कम्प्यूटर पर सीधे अपलोड किया जा सके।

(स) एन0आई0सी0 द्वारा सम्पादित किया जाने वाले कार्य

1- नेट पेमेन्ट के माध्यम से व्यापारीवार, पेमेन्ट की गयी धनराशि का तिथिवार मदवार विवरण भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर जोनवार / सम्भागवार / जनपदवार / व्यापारी टिन वार सूचना एन0आई0सी0 अपनी साईट पर तैयार कर सर्व सम्बन्धित को लाग इन पासवर्ड से आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायेगा

2- एन0आई0सी0 द्वारा ट्रेजरी माड्यूल में भी आवश्यक संशोधन कराया जायेगा ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोषागार निदेशालय से प्राप्त फार्मेट पर, स्क्राल व चालानों का समेकित विवरण अपने आप यथावत कोषागार के माड्यूल में ट्रांसफर / फीडिंग हो जाये।

3- भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त एक्स0एम0एल0 तिथिवार समेकित स्क्राल मदवार विवरण एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कराने हेतु आवश्यक प्रोग्राम / साफ्टवेयर वाणिज्य कर विभाग को प्राप्त कराते हुये उसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण समय-समय पर आवश्यकतानुसार करेगें।

4- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य कर विभाग को पोर्टल का user ID व password प्राप्त कराया जायेगा। इस user ID व password से एन0आई0सी0 द्वारा अपलोडेड XML file को डाउनलोड किया जायेगा।

(द) कोषागार, कानपुर नगर तथा नेट बैंकिंग हेतु अधिकृत बैंकों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं दायित्व

भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के अनुसार उक्त धनराशियों को राज्य सरकार के खाते में शीघ्रता से क्रेडिट किए जाने के उद्देश्य से उक्त प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए समस्त नेट बैंकिंग हेतु अधिकृत बैंकों द्वारा इलेक्ट्रानिकली जमा धनराशि के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1) सभी भागीदार बैंक इ-मोड से कर संग्रहण हेतु अपने बैंक की एक ई-फोकल प्वाइन्ट शाखा का निर्धारण करेंगे जो समस्त ई-रिसीट के लिए नोडल ब्रान्च के रुप में कार्य करेगी।

(2) सभी भागीदार बैंकों की ई-फोकल प्वाइन्ट शाखा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समस्त लेनदेन / समव्यवहार (Transaction) का विवरण जमा तिथि के अगले कार्यदिवस में सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध करायेगें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी भागीदार बैंकों से प्राप्त समस्त लेनदेन /समव्यवहारों (Transaction) का बैंकवार कन्सालिडेट विवरण इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से एन0आई0सी0 तथा कोषागार के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा एवं तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉग-इन एवं पासवर्ड से इस विवरण को सीधे कोषागार द्वारा डाउनलोड किया जायेगा जो कोषागार के लिए ई-स्क्राल के रुप में कार्य करेगा।

-क्रमश: पृष्ठ 4 पर

(4) उपरोक्त बिन्दु-3 हेतु कोषागार, कानपुर नगर को अधिकृत किया गया है । ई-मोड के अन्तर्गत सभी भागीदार बैंकों द्वारा कर संग्रहण से प्राप्त धनराशि चाहे वह देश के किसी भी स्थान पर एवं किसी भी समय पर करदाता के खाते को क्रेडिट करके प्राप्त की गयी हो । उपरोक्त प्रस्तर-3 की प्रक्रिया के अनुसार केवल कानपुर नगर कोषागार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना को डाउन लोड कर की जायेगी ।

(5) कोषागार, कानपुर नगर द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्राप्तियों के ई-स्क्राल को एवं स्टेट बैंक गवर्नमेन्ट बिजनेस ब्रान्च से प्राप्त प्राप्तियों के लेखे को एक साथ कोषागार साफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करते हुए संकलित किया जायेगा और इस प्रकार दोनों स्रोतो (भारतीय रिर्जव बैंक कानपुर एवं भारतीय स्टेट बैंक गवर्नमेन्ट बिजनेस ब्रान्च कानपुर) से प्राप्त संकलित लेखे को महालेखाकार कार्यालय उत्तर प्रदेश एवं वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा । कानपुर कोषागार द्वारा इसी प्रकार प्राप्तियों को संकलित लेखों के आधार पर बी0डी0एम0एस0 भी महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी , कानपुर नगर द्वारा प्रदेश के विभिन्न जोनों के व्यापारियों द्वारा नेट बैकिंग के माध्यम से जमा धनराशि तथा कानपुर जनपद के व्यापारियों द्वारा बैंकों के माध्यम से जमा धनराशि का विवरण अलग-अलग तैयार कर सत्यापित करा कर प्रत्येक माह डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, कानपुर को प्राप्त करायेगें ।

(7) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से सभी भागीदार बैंक, भारतीय रिर्जव बैंक एवं सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा ।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- भारतीय रिर्जव बैंक, कानपुर ।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ।
5- मुख्य महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, स्था0प्र0का0, लखनऊ ।
6- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
7- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, जनपद कानपुर नगर ।
10- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर/आहरण एवं वितरण अधिकारी वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त एडीशनल कमिश्नर /ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
12- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, कानपुर-ए ।
13- डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, कानपुर ।

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।